न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 94/2021

RCMS No. 2021/231

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
ग्राम पंचायत बारवा जरिये सरपंच बारवा तह. बाली जिला पाली		श्रीमती प्रमिला कुमारी पत्नी श्री सोहनलाल घांची जाति घांची निवासी करणवा तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री नरपतसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थी
श्री प्रेमसिंह राठौड़ अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक:– 19-6-2023

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बारवा द्वारा मिसल संख्या 72/2002–2003 दायर दिनांक 14.1.2003 की पालना में अप्रार्थीया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 1.3.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थीया को भूमि का पट्टा रियायती दर पर नियम 158 के तहत जारी किया जाना बताया है जबकि न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव है। मिसल भी पुरी खाली पड़ी है जिसमें कोई आदेशिका प्रस्ताव आदि भी नही है। जैर निगरानी पट्टे के मिसल की जो नकले ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई है उस मिसल पर मात्र अप्रार्थी का नाम पता दायर संख्या व दिनांक आदि के अलावा कुछ भी लिखा हुआ नही है, न कोई आदेशिका है, न कोई प्रस्ताव है, न कोई कार्यवाही विवरण है। मिसल में मात्र एक आवेदन अप्रार्थी के नाम का खाली स्थान भरते हुए है जिस पर भी अप्रार्थी के हस्ताक्षर नही होकर किसी धरमचन्द के हस्ताक्षर है जिसमें पड़ौस के रूप में मात्र करणवा–मादा साल बताया गया है। इसके अलावा आवेदन में कुछ भी अंकित नही है। आवेदन में कोई क्षेत्रफल भी नही बताया गया है। पत्रावली में निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण भी खाली है जिस पर किसी वार्डपंच के हस्ताक्षर नही है। नक्शा व क्षेत्रफल का प्रपत्र भी पूर्णरूप से खाली है, जिस पर भी कुछ नही लिखा हुआ है न किसी के हस्ताक्षर है अर्थात मात्र मिसल में आपत्ति सूचना पत्र, निरीक्षण प्रपत्र, नक्शा क्षेत्रफल प्रपत्र, आदेशिका, सूची कागजात है परन्तु वे सभी खाली है उनमें कुछ भी नही लिखा है न ही किसी के हस्ताक्षर है जिससे जैर निगरानी प्रस्ताव मय पट्टा बिना किसी आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बनाया जाना स्पष्ट है जो निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा 30 बाई 45 वर्गफीट का जारी किया जाना बताया है जबकि पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन में ''बीस फिट गड्ढा करीब'' होना ही अंकित किया है लेकिन मांग से अधिक भूमि का पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थीया को नियम 158 के तहत पट्टा जारी करना बताया है जबकि अप्रार्थी न तो भूमिहीन है न ही कमजोर वर्ग से संबंधित है न ही नियम 158 में वर्णित श्रेणीयों में आता है क्योंकि अप्रार्थीया के पास ग्राम करणवा में भूमि मकान है इसलिए भी जैर निगरानी प्रस्ताव मय पट्टा निरस्त योग्य है। अप्रार्थीया ग्राम बारवा की निवासी नही होकर ग्राम करणवा की निवासी है। अप्रार्थीया भूमिहीन नही है। अप्रार्थीया को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह आबादी भूमि नही होकर ग्राम बारवा की गोचर भूमि है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत की जांच हेतु ग्राम बारवा के पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2022 में भी जैर निगरानी पट्टा गोचर भूमि में दिये जाना बताया है। गोचर भूमि में किसी प्रकार का पट्टा जारी नही किया जा सकता है जिससे भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पचायत बारवा ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 22.9.2021 को पारित कर प्रार्थीया सरपंच को निगरानी पेश करने हेतु अधिकृत किया है जिससे प्रार्थीया सरपंच द्वारा उक्त निगरानी पेश की जा रही है। अतः लिखित बहस स्वीकार फरमावें एवं अप्रार्थीया के पक्ष में ग्राम पचांयत बारवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 1.3.2004 को निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीया ने वक्त बहस निवेदन किया कि अप्रार्थीया ने ग्राम पंचायत में जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई। तीन वार्ड पंचो को मौका जांच हेतु मनोनीत किया। वार्ड पंचो की मौका रिपोर्ट पर नियमानुसार आपत्ति इश्तिहार जारी कर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थीया भूमिहीन व कमजोर वर्ग की होने एवं अप्रार्थीया के पास ग्राम बारवा में कोई आवासीय मकान अथवा भूखण्ड नही होने से नियम 158 के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार व सही है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा कानूनी भूल नही की है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो व ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत के रेकर्ड एवं पत्रावली के संलग्न हल्का पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि की किस्म गै.मु.गोचर है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिसका आवासीय पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नही है लेकिन ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रक्रिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थीया के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बारवा द्वारा मिसल संख्या 72/2002–2003 दिनांक 14.1.2003 प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 5.2.2004 की पालना में अप्रार्थीया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 1.3.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19-6-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली